संख्या–वे0आ0–2–1490 / दस–59(एम) / 2008

प्रेषक,

श्री बी0एन0 दीक्षित,
सचिव वित्त,
उत्तर प्रदेश शासन।

सेवा में,

समस्त प्रमुख सचिव / सचिव,
उत्तर प्रदेश, शासन।

लखनऊ : दिनांक 12 अक्टूबर, 2009

विषय :– पुनरीक्षित वेतन संरचना में अवशेष वेतन आहरण के सम्बन्ध में स्पष्टीकरण।

महोदय,

वित्त (वेतन आयोग) अनुभाग–2

वेतन समिति की संस्तुतियों पर शासन द्वारा लिये गये निर्णयानुसार दिनांक 01 जनवरी, 2006 से लागू पुनरीक्षित वेतन संरचना में वेतन निर्धारण विषयक शासनादेश संख्या–वे0आ0–2–1318 / दस–59(एम) / 2008, दिनांक 08 दिसम्बर, 2008 के प्रस्तर–12 के उप प्रस्तर–4(2) में की गयी इस व्यवस्था के सम्बन्ध में कि वित्तीय वर्ष 2009–10 तथा 2010–11 में अवशेष का आहरण सम्बन्धित वर्ष के माह अक्टूबर के पूर्व नहीं किया जायेगा, के सम्बन्ध में कतिपय स्तरों पर यह भ्रम उत्पन्न हो रहा है कि उक्त आहरण सम्बन्धित वर्ष के अक्टूबर माह में किया जा सकेगा अथवा नहीं। उक्त के सम्बन्ध में मुझे यह स्पष्ट करने का निदेश हुआ है कि वित्तीय वर्ष 2009–10 तथा 2010–11 में अवशेष का आहरण सम्बन्धित वर्ष के अक्टूबर माह में किया जा सकेगा।

भवदीय,
बी0 एन0 दीक्षित,
सचिव वित्त।

संख्या वे0आ0-2-1490(1)/दस-59(एम)/2008 तद्दिनांक।

प्रतिलिपि निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित :–

1–महालेखाकार (लेखा एवं हकदारी)-I एवं II तथा (आडिट)-I एवं II, उ0प्र0, इलाहाबाद।
2–प्रमुख सचिव श्री राज्यपाल उत्तर प्रदेश।
3–प्रमुख सचिव, विधान सभा / विधान परिषद्, उत्तर प्रदेश।
4–महानिबन्धक, उच्च न्यायालय, इलाहाबाद।
5–समस्त विभागाध्यक्ष एवं प्रमुख कार्यालयाध्यक्ष, उत्तर प्रदेश।
6–निदेशक, सूचना एवं जन सम्पर्क, उत्तर प्रदेश।
7–निदेशक, अधिष्ठान पुनरीक्षण ब्यूरो, वित्त विभाग।
8–समस्त मुख्य / वरिष्ठ कोषाधिकारी, उ0प्र0।
9–उ0प्र0 सचिवालय के समस्त अनुभाग।
10–इरला चेक अनुभाग, उत्तर प्रदेश शासन।
11–गार्डबुक।

आज्ञा से,
नरेन्द्र कुमार,
संयुक्त सचिव।

पी0एस0यू0पी0पी0 ए0पी0 65 सा0 वित्त–15.10.2009–(1359)–4,000–(कम्प्यूटर / आफसेट)।